

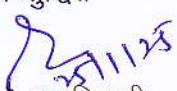
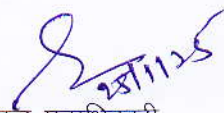
ज. मराठा मधुपुर परगना मधुपुर

P.A. Case No. 46/17-18

मो. महफुज मो. रीजवान आलम

मो. महफुज

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3
25-01-25	आदेश प्रस्तुत पी०ए० वाद संख्या-46/2017-18 आवेदक-मो० महफुज, पिता-स्व० मो० अताउल शेख, साकिन-भौराटॉड, अंचल-मधुपुर, जिला-देवघर के द्वारा वंशावली के आधार पर संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा-6 के तहत एवं पी०ए० वाद संख्या-39/2017-18 आवेदक-मो० रीजवान आलम, पिता-एम०डी० मुस्तफा शेख, साकिन-भौराटॉड, अंचल-मधुपुर, जिला-देवघर के द्वारा संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा-5 के तहत मौजा-भौराटॉड, थाना नं०-254 का प्रधान नियुक्त करने हेतु समर्पित आवेदन को सम्बद्ध कर अभिलेख की कार्रवाई प्रारम्भ किया गया है। इस संबंध में अंचल अधिकारी, मधुपुर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई, जो उनके पत्रांक-242/रा०, दिनांक-12.04.2018, पत्रांक-298/रा०, दिनांक-07.05.2018, पत्रांक-368/रा०, दिनांक-25.07.2019, एवं पत्रांक-532/रा०, दिनांक-03.07.2023 द्वारा प्राप्त है, जो अभिलेखबद्ध है। अंचल अधिकारी, मधुपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-भौराटॉड, थाना नं०-254 एक प्रधानी मौजा है। उक्त मौजा के पूर्व 16 आना का खतियानी प्रधान एतवारी शेख, पिता-मतन शेख थे। इस मौजा का प्रधान पद हेतु दो आवेदक ने आवेदन किये हैं। प्रथम आवेदक-मो० महफुज, पिता-स्व० अताउल शेख, खतियानी प्रधान एतवारी शेख का ज्येष्ठ परपौत्र है। आवेदक का उम्र-31 वर्ष है। आवेदक साक्षर एवं प्रधानी कार्यभार सम्भालने की क्षमता रखते हैं। मौजा में कुल जमाबंदी रैयतों की संख्या-22 एवं वार्षिक लगान-163.00/- (एक सौ तिरेसठ रुपये) अलावे सेस है। खतियानी प्रधान एतवारी शेख के पौत्र मो० अताउल शेख ने भी प्रधान पद के लिए आवेदन किये थे किन्तु बहाली होने के पूर्व ही इनकी मृत्यु हो गई। द्वितीय आवेदक-मो० रीजवान आलम, पिता-एम०डी० मुस्तफा शेख, साकिन-भौराटॉड द्वारा धारा-5 के तहत प्रधानी नियुक्ति हेतु आवेदन दिया गया है। फलतः अंचल अधिकारी, मधुपुर द्वारा आवेदक-मो० महफुज, पिता-स्व० मो० अताउल शेख, साकिन-भौराटॉड, अंचल-मधुपुर, को मौजा-भौराटॉड, थाना नं०-254 का सोलह आना का प्रधान पद पर नियुक्ति की अनुशंसा वंशनुगत के आधार पर करने हेतु प्रतिवेदन अग्रसारित किया गया है। प्रधानी नियुक्ति वाद में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड के W.P.(c) No.-3164/2005 एवं W.P.(c) No.-1141/2015 में दिनांक-03/22.02.2023 को पारित आदेश के पारा-39 में स्पष्ट उल्लेखित है कि :- <u>"...The decision in Baisakhi Harijan, so far as it holds that in a given case when there are two applicants one on the basis of hereditary right and the other on the basis of election, the Sub-Divisional Officer or the Deputy Commissioner, as the case may be, has to first consider the case of the person who claims on the basis of hereditary right, does not appear to be in consonance with the interpretation of different clauses of Clause 5 under Rule 3 of the SPT Rules as accorded in the foregoing paragraphs since the statute does not contemplate simultaneous applications, one under Section 5 of the SPT Act and the other in terms of Section 6 of the SPT Act...."</u>	

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	
	इस संबंध में विज्ञा अधिवक्ता को सुनने एवं दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा-भौराटौंड, थाना नं०-254 एक प्रधानी मौजा है एवं खतियानी प्रधान के वंशज जीवित है। आवेदक-मो० महफुज, पिता-स्व० मो० अताउल शेख जो खतियानी प्रधान के ज्येष्ठ परपौत्र है, ने संताल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा-6 के तहत आवेदन दाखिल किया है। द्वितीय आवेदक-मो० रीजवान आलम द्वारा धारा-5 के तहत आवेदन दाखिल किया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार किसी मौजा में एक साथ धारा-5 एवं धारा-6 के आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता। चूंकि मौजा प्रधानी है, धारा-6 के तहत दाखिल प्रधान नियुक्ति आवेदन पर कार्रवाई किया जाना उचित प्रतीत होता है। द्वितीय आवेदक खतियानी प्रधान के वंशज में नहीं आते हैं। अतएव द्वितीय आवेदक- मो० रीजवान आलम, पिता-एम०डी० मुस्तफा शेख, साकिन-भौराटौंड, अंचल-मधुपुर द्वारा धारा-5 के तहत प्रधान नियुक्त करने संबंधी दाखिल आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, मधुपुर से प्राप्त प्रतिवेदन एवं दाखिल कागजातों के आधार पर स्पष्ट है कि आवेदक-मो० महफुज खतियानी प्रधान के वंशज हैं। अतः वंशानुगत आधार पर संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा-6 के तहत आवेदक-मो० महफुज, पिता-स्व० मो० अताउल शेख, साकिन-भौराटौंड, अंचल-मधुपुर, जिला-देवघर को मौजा-भौराटौंड, थाना नं०-254 का 16 (सोलह) आना का प्रधान नियुक्त किया जाता है। तदनुसार आवेदक कबुलियत एवं सुरक्षित राशि जमा करें, तत्पश्चात् नियुक्त प्रधान को पट्टा निर्गत करें। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, मधुपुर को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित  अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर।  अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर। 31.01.25 आवेदक द्वारा कबुलियत एवं सुरक्षित राशि जमा किया गया। पट्टा निर्गत करें।  अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर।	आवेदक 131 सी.बी. दिनांक 05.2.25  अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर।